अनिल कुमार, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–IV, सासाराम, रोहतास
प्रभावती देवी एवं अन्य बनाम बिहार सरकार
ए.बी.पी. संख्या–583 / 2026, परिवाद वाद संख्या–254 / 2025

25.03.2026 अग्रिम जमानत आवेदन, दिनांक 12.03.2026, आवेदकगण / अभियुक्तगण 1. प्रभावती देवी, 2. प्रदीप कुमार शर्मा, दोनों ग्राम–कटरियॉ, थाना–अगीऑव बाजार, जिला–भोजपुर (आरा), 3. सीमा देवी, 4. बिजेन्द्र कुमार सिंह तथा 5. शेषनाथ सिंह, तीनों ग्राम–गंगौली, थाना–डालमियानगर, जिला–रोहतास जो परिवाद वाद संख्या–254 / 2025, अन्तर्गत धारा–318(4), 338, 336(3), 340(2), 316(2), 3(5) बी0एन0एस0 में आरोपित है, सुनवाई हेतु अभिलेख प्रस्तुत किया गया। अग्रिम जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को आपूर्ति की गयी है। आवेदकगण / अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना तथा अभिलेख का सम्यक अवलोकन किया।

परिवादी दयाशंकर शर्मा उर्फ बब्लू विश्वकर्मा द्वारा दाखिल परिवाद वाद के अनुसार संक्षेप मे घटना यह है कि परिवादी के दादा तीन भाई थे, 1. स्व0 लालु शर्मा, 2. स्व0 रघुनन्दन शर्मा उर्फ रघु लोहार, 3. स्व0 यदुनन्दन शर्मा उर्फ यदुनन्दन लोहार तीनों भाईयों के नाम से संयुक्त जमीन का रसीद एवं खतियान है। एक भाई रघुनन्दन शर्मा नावल्द थे, स्व0 रघुनन्दन शर्मा कि एक लड़की भिखईनिया देवी थी, जो शादी के एक वर्ष यानी सन् 1966 में स्वर्गवास हो गयी थी, जो नावल्द हो गई। स्व0 रघुनन्दन शर्मा का जाली नातिन (प्रभावती देवी) बनकर परिवादी के दादा का हिस्सा जिसका खाता नं0–608, खेसरा सं0–740, रकबा–12 डी0 भूमि क्रेता सीमा देवी के नाम दिनांक 23.09.2024 को डीड नं0–4744 रजिस्ट्री ऑफिस डिहरी के द्वारा बिक्री कर दिया। उक्त केवाला में पहचान एवं गवाह मुदा0 सं0–1 का बेटा प्रदीप कुमार शर्मा है तथा दुसरा गवाह मुदा0 सं0–5 शेषनाथ प्रसाद है। मुदा0 सं0–4 बिजेन्द्र कुमार सिंह इस घटना के षडयंत्र को रचने वाला है, जो एक साजिश एवं षडयंत्र के द्वारा अपनी पत्नी सीमा देवी के नाम रजिस्ट्री करा लिया है। विक्रय पत्र (केवाला) में विक्रेता प्रभावती देवी के हस्ताक्षर के जगह पर विक्रेता के पुत्र मुदा0 सं0–2 द्वारा हस्ताक्षर बनाया गया है, निशान भी स्पष्ट नही है एवं केवाला पर क्रेता–विक्रेता का बिक्री की गई भूमि के साथ फोटो भी नही है। इससे स्पष्ट होता है कि एक साजिश एवं बेईमानी के तहत जमीन बिक्री किया गया है, जिसमें उपरोक्त सभी मुदालयों का षडयंत्र है। मुकदमा विलंब से दायर करने का कारण यह है कि जब क्रेता उक्त भूमि का दाखिल खारिज कराने का आवेदन अंचल में दिया तब परिवादी को जानकारी हुआ तब परिवादी मुकदमा दायर करने थाना गया था। दरोगा जी बोले कि जमीन संबंधी Matter है इसलिए न्यायालय में मुकदमा दायर कीजिए तब परिवादी न्यायालय में मुकदमा दायर किया।

आवेदकगण / अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण / अभियुक्तगण निर्दोष है तथा उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदकगण / अभियुक्तगण संख्या–4 बिजेन्द्र कुमार सिंह तथा 5. शेषनाथ प्रसाद एक आपराधिक इतिहास है, जिसमें वह जमानत पर है। अन्य आवेदकगण / अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नही है। सब जज–12, सासाराम, रोहतास के समक्ष टी0एस0 संख्या–1092 / 2024 के तहत एक टाईटिल सूट लंबित है, जिसमें आवेदिका / अभियुक्ता संख्या–01 प्रभावती देवी न्यायालय में उपस्थित हुई और दिनांक 04.07.2025 के आदेश के अनुसार उनका नाम प्रतिवादी संख्या–05 के रूप में जोड़ा गया है। उसी टाईटिल सूट में, वादी राम प्यारे शर्मा के सगे भाई रामअशीष शर्मा ने अपना लिखित बयान दाखिल किया और स्वीकार किया कि प्रभावती देवी रघुनंदन सिंह शर्मा उर्फ रघु लोहार की पत्नी भीखैनिया की बेटी है। विक्रय विलेख प्रभावती देवी द्वारा आवेदिका / अभियुक्ता संख्या–3 सीमा देवी के पक्ष में निष्पादित किया गया है और दोनों की तस्वीर भी लगाई गयी है। सी0ओ0 ने आवेदिका / अभियुक्ता संख्या–3 सीमा देवी का कब्जा भी पाया है। उक्त भूमि आवेदिका / अभियुक्ता संख्या–1 प्रभावती देवी के दादा के नाम पर संयुक्त रूप से दर्ज है। दीवानी प्रकृति का मामला है और टाईटिल सूट पहले से ही लंबित है। आवेदकगण / अभियुक्तगण धारा 482(2) बी.एन.एस.एस. के तहत निर्धारित सभी शर्तो को पालन करने के लिए तैयार है। आवेदकगण / अभियुक्तगण विद्वान न्यायालय के संतुष्टि के लिए जमानत बंधपत्र देने के लिए तैयार है। अतः अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश पारित किया जाए।

उसके विपरीत राज्य के संबंधित विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा आवेदकगण / अभियुक्तगण के अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

उभय पक्षो को सुना, अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से परिलक्षित होता है

कि आवेदकगण / अभियुक्तगण परिवाद वाद का नामित अभियुक्त है। प्रस्तुत वाद में संबंधित न्यायालय से एल0सी0आर0 की मांग डी0बी0 संख्या–103, दिनांक 18.03.2026 को किया गया था, जो अप्राप्त है। किन्तु परिवादी का विद्वान अधिवक्ता आज न्यायालय में उपस्थित है। सभी पक्षों को सुनने के बाद यह प्रतीत होता है कि मामला मूलतः दीवानी है। प्रभावती देवी भिखैनिया देवी, जो स्वयं रघुनंदन शर्मा की बेटी है कि नही यह विचारण का मामला है। दोनों पक्षों के बीच पूर्व से ही टी0एस0 संख्या–1092 / 24 लंबित है। इसके अलावा, परिवादी का कहना है कि Sale-deed जाली है क्योंकि उस पर फोटो नही है तथा उसका Thumb impression नही है, Sale-deed के अवलोकन से गलत साबित होता है क्योंकि Sale-deed पर दोनों पक्षों का फोटो लगा हुआ है तथा Thumb impression भी स्पष्ट है।

उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों, वाद परिस्थितियों में यह न्यायालय आवेदकगण / अभियुक्तगण 1. प्रभावती देवी, 2. प्रदीप कुमार शर्मा, 3. सीमा देवी, 4. बिजेन्द्र कुमार सिंह तथा 5. शेषनाथ सिंह को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायोचित समझती है। तद्नुसार आवेदकगण / अभियुक्तगण 1. प्रभावती देवी, 2. प्रदीप कुमार शर्मा, 3. सीमा देवी, 4. बिजेन्द्र कुमार सिंह तथा 5. शेषनाथ सिंह का अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 12.03.2026 को स्वीकृत किया जाता है एवं आवेदकगण / अभियुक्तगण द्वारा आदेश प्राप्ति के तिथि से एक माह के अन्दर आत्मसमर्पण करने या पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर प्रस्तुत किये जाने पर रूपया दस हजार (10,000) का बंधपत्र तथा उसी राशि के दो प्रतिभुओ के साथ दाखिल करने एवं धारा 482 (2) बी.एन.एस.एस. में विहित शर्तों के साथ विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतुष्टि पर इन्हें अग्रिम जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश दिया जाता है।

कार्यालय आदेश की प्रति संबंधित न्यायालय को भेजें।

लेखापित
Sd/-
(अनिल कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश–चतुर्थ
सासाराम, रोहतास।
दिनांक 25.03.2026